न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 116/2020

अंगूरी पत्नि किशोरी जाति धोबी निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

प्रार्थीया

बनाम

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोपालगढ पंचायत समिति पहाडी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थीया
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी

दिनांक :– 02.03.2021

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 480/0.52, 479/0.01 हैक्टर बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थीया की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी का आराजी से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अप्रार्थी प्रार्थीया की आराजी में से सडक निकालने के लिये प्रयत्नशील है। प्रार्थीया के खसरा नम्बर 480/0.52 में सिंचाई के लिये बोर लगा हुआ है। जिसका खसरा नम्बर 479/0.01 है। प्रार्थीया के परिवारीजन सरपंच के सामने चुनाव लडे थे जिस कारण वर्तमान सरपंच प्रार्थीया से रंजिश रखता है तथा अपने राजनैतिक प्रभाव से ग्राम पंचायत सचिव द्वारा खातेदारी के रास्ते को छोडकर प्रार्थीया की आराजी में से बोर को दबाने के मकसद से जबरन सडक डलवा रहा है। अप्रार्थी प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में मजाहमत व मदाखलत करना चाहते है और आराजी पर लठ्ठ व ताकत के बल पर कब्जा नाजायज करना चाहते है। अप्रार्थी राजनैतिक प्रभाव व ताकत वाले व्यक्ति है जो कि प्रार्थीया को उसकी आराजी से बेदखल करना चाहते है। इस बाबत अप्रार्थी ने

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया को दिनांक 28.09.2020 को ऐलानिया धमकी दी है। अगर अप्रार्थी अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो अप्रार्थीया को अपरमित क्षति होगी । जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि सम्भव ना हो सकेगी। प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थीया के पक्ष में प्रकट होती हैं। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीया की आराजी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा बोर को बन्द न करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये तथा दिनांक 11.02.2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गोपालगढ को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया प्रार्थीया द्वारा आराजी खसरा नम्बर 478 किस्म गै0मु0 रास्ते में बोर कर रखा है। जो कि खसरा नम्बर 479 नहीं है। प्रार्थीया खसरा नम्बर 480/0.52 की आड में खसरा नम्बर 478 गै0मु0रास्ते को दबाना चाहती है और इसी नम्बर में बोर लगा रखा है। जो कि गैर कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी भूमि है। जिसके सामने खसरा नम्बर 478 गै0मु0 रास्ता अवस्थित है। जिस पर ग्राम पंचायत सडक निर्माण कार्य करना चाहती है। परन्तु एक रिकॉर्डेड खातेदार की भूमि में से गै0 मु0 रास्ते के अतिरिक्त सडक निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीया में निहित है।
2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया रिकॉर्डेड खातेदार है। अगर उनकी भूमि में से सडक का निर्माण किया जाता है तो असुविधा भी प्रार्थीया को ही अधिक होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया में ही निहित है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीया में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया को ही होगी।

ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार योग्य है ।

अतः आज्ञा है कि :–

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वो प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 480 एवं 479 में कोई मजाहमत व मदाखलत ना करें। अप्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 478 गै0मु0 रास्ते पर पैमाइश कराकर सडक निर्माण के लिए स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner